

19-2-24

वकील वादी उपर। अध्यायिका की ओर से आदिनांक तक
वकालतनामा पेश नहीं हुआ ना ही प्रवाप पेश हुआ। वकील
प्राथम्य की वजह पुनः जायी। वकील प्राथम्य द्वारा प्राथम्य पत्र
लोकाल किमि जाते का निवेदन किया। वजह प्राथम्य पुनः
पश्चात् पनायती का उपलोकन किया गया। प्राथम्य पत्र 09R4
CPC लोकाल किमि लोकाल दिनांक 23/5/22 को डाक
द्वारा प्रेषित पनायती को कलमार्ज राम जी वनाम वजह
प्रकाश को दावा को पुनः गुरुवार पर लिखे जाते को
आदेश किमि जाते हो पनायती को लोकाल पुनः लोकाल गैर
ले जाते लोकाल वाद तत्काल समाप्त कराए हो।

उपखण्ड अधिकारी
कलमार्ज राम जी